

उत्तर प्रदेष राज्य औद्योगिक विकासप्राधिकरण

क्षेत्रीय प्रबन्धक च०प्रवरावऔवविवप्राव, झांसी।

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स A-1/4ए लखनपुर कानपुर - 208024

दूरमाष : 0512- 582851-53 : 0512-2580797

वेबसाइट:www.upside.com CIN-U26961SGC002834

दिनांक:

संदर्भ संख्या

/सीडा/एटीपी

विषयः औद्योगिक भूखण्ड संख्या एफ-28, एफ-29 एवं एफ-30 औठक्षेठ सुमेरपुर हमीरपुर के संविलियन स्वीकृति के

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 232 दि. 31.05.2022, 472 दिनांक 19.07.2022 एवं 784 दिनांक 19.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी मापों के आधार पर औं0 क्षेठ सुमेरपुर हमीरपुर के औद्योगिक भूखण्ड संख्या एफ-28, एफ-29 एवं एफ-30 (क्षेठ 5415.00 वर्गमीठ) को एकीकृत कर भूखण्ड संख्या एफ-28/30 (क्षेठ 5415,00 वर्गमीठ) नामित कर, कार्यालय आदेश संठ 1300 -1307 / सीडा / एटीपी / का0आ0 दिनांक 15.01.2021 के कम में निर्धारित सक्षम स्तर द्वारा संविलियन प्रस्ताव पर निम्न शतों के साथ सैद्धान्ति अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

ा नव संजित भूखण्ड का भू-उपयोग यथावत् औद्योगिक रहेगा।

2 नव सजित भूखण्ड के सेटबैक, भू-आच्छादन एवं एफ०ए०आर० यूपीसीडा के भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के अनुसार निर्धारित होंगे।

यूपीसीडा के भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के प्रस्तर 3.3.7 B (iv) के अनुसार भूखण्डों की लीज-डीड कराया जाना आवश्यक होगा।

भूखण्ड के संविलियन मानचित्र जारी करने से पूर्व विज्ञप्ति प्रारूप आपके द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी समाचार पत्र, जो widely circulated हो, में प्रकाशित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी एवं विज्ञप्ति में निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को संकलित करते हुये एवं विज्ञाप्ति प्रकाशित समाचार पत्रों की दो-दो प्रति एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी। विज्ञाप्ति क्षेत्रीय कार्यालय हेतु उपलब्ध विज्ञापन मद के सापेक्ष प्रकाशित करायी जायेगी। उक्त विज्ञाप्ति के क्रम में प्राप्त आपित्त / सुझाव के अन्तिमीकरण के उपरान्त भूखण्ड संविलियन का अन्तिम रूप प्राप्त होगा।

5 यूपीसीडा के योजना बनाने एवं अन्तिमीकरण विनियमन, 2004 के अनुच्छेद 3.3.8 के अन्तर्गत आपके कार्यालय द्वारा उक्त प्रस्ताव की जनापत्ति आमन्त्रित करने पर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसके निराकरण सम्बन्धी समस्त निर्णय आवंटी को मान्य होंगे।

आप द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संविलियन अनुमोदन पत्र निर्गत करने से पूर्व समस्त देयों / शुल्को का भुगतान आवंटी से प्राप्त कर लिया गया है और यदि भविष्य कोई देय/शुल्क रोपित किये जाते है तो वह आवंटी को मान्य होगें।

औ०क्षे० सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर के औद्योगिक भूखण्ड एफ-28, एफ-29 एवं एफ-30 के सैद्धान्तिक अनुमोदित संविलियन मानचित्र एवं विज्ञाप्ति प्रारूप की प्रति संलग्न कर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

(मीना भार्गव) महा प्रबन्धक (वा०/नियो०)

पृष्ठांकित संख्या /206 /सीडा/एटीपी दिनांक: <del>-+</del> 22-//-2022 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

सहायक महाप्रबन्धक (प्रo/सा०), उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०,औ०क्षे० अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।

2 प्रभारी (कम्प्यूटर),मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि क्षेत्रीय प्रबन्ध द्वारा विज्ञप्तिप्रकाशित होने के उपरान्त संलग्न मानचित्र एवं एवं विज्ञप्ति को वेबसाइट पर 15 दिन तक अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

з वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), नि०ख०-**४**:उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा०, <del>जखनक</del>। कानि ४२

4 निजी सचिव (मु०का०अ०/अ०मु०का०अ०) उ०प्र०रा०ओ०वि०प्र० मुख्यालय कानपुर।

meenl 24/11/20n (मीना भार्गव) महा प्रबन्धक (वा०/नियो०)



## U.P. STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

UPSIDA Complex A-1/4, Lakhanpur, Kanpur-208024 Tel.: 0512-582851-53

Fax: 0512-2580797 Website: www.upside.com CIN-U26961SG002834

Reference No.

/UPSIDA/

Dated:

Notice regarding invitation of Public Objection / Suggestion on Amendment in Layout Plan of Industrial Area Sumerpur Hamirpur in which Industrial Plot No.F-28, F-29, F-30 (Area 5415.00) is being carved out of Industrial Plots & Roads. Industrial Plot No. F-28, F-29, F-30 (Area 5415.00) is being created by amalgamation of existing Industrial Plots No. F-28 to F-30 of existing Industrial Area.

- 1 (a) The Amendment Part Layout Plan of Industrial Area Sumerpur Hamirpur of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) situated in District Hamirpur has been prepared.
- (b) A copy thereof will be available for inspection at the Regional Manager of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority, at Jhansi between 10:00 am to 5:00 pm on all working days till the date mentioned in Para 3 hereafter as well as website: www.onlineupsidc.com
- Objections and Suggestions are hereby invited with respect of the Draft Amended Layout Plan.
- Objections and Suggestions shall be sent in writing to the office of Regional Manager, UPSIDA at Administrative Building Growth Center, Bijouli, Jhansi within15 days from the date of publication of this notice mentioning subject as "Regarding Public Objection / Suggestion on Draft Amended Layout Plan for Industrial Area Sumerpur District HamirpurAny person making the Objections or Suggestions should also give his/her full name & address, Email id and contact number.

(Regional Manager)
U.P. State Industrial Development Authority